

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक:-एफ 110/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046

जयपुर दिनांक 06/05/2022

परिपत्र

विषय :- आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में।

राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत्त किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

संलग्न :- शपथ पत्र का प्रारूप

(डा. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 110/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28047-100

जयपुर दिनांक 06/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3) संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालय एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर
- 10) सचिव,कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
- 11) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजकर निवेदन है कि संबंधित पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
- 13) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 14) समस्त जिला कलक्टर
- 15) समस्त उपखण्ड अधिकारी को पालनार्थ.....।
- 16) ए.सी.पी. (मुख्यावास) को विभागीय बेवसाईट पर अवलोड कराने बाबत।
- 17) गार्ड फाईल

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

EWS/varun

आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र

शपथ-पत्र

(वित्तीय वर्ष.....)

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या

1. मैं [] पुत्र/पुत्री/पति/ श्री

निवासी

गांव/शहर

तहसील

जिला

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वित्तीय वर्षके लिये अर्हाता रखता/रखती हूं। मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रू से कम है ।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी.....जिला.....द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.....दिनांक.....जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति/चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंउगा जो विधि और नियमों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता